रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275362
CG-DL-E-11082026-275362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4253] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 4253] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

का.आ. 4431(अ).— आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की स्वीकृति के अनुसरण में और समय-समय पर जारी किए गए सभी पूर्व अधिसूचनाओं/आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, जो अपस्ट्रीम पेट्रोलियम प्रचालन से संबंधित विभिन्न संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) का गठन करते हैं, केंद्र सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित संरचना, शक्तियों और कार्यों के साथ नामांकन क्षेत्रों और सभी संविदात्मक व्यवस्थाओं अर्थात् पूर्व-एनईएलपी, एनईएलपी, सीबीएम, डीएसएफ और एचईएलपी (ओएएलपी) के प्रयोजनों के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) का गठन करती है:

1. **सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की संरचना :**

सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय;

(ख) सचिव, व्यय विभाग; और

(ग) सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि सचिव)

बशर्ते कि सचिव (कोयला) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) से संबंधित सभी मामलों में समिति के सदस्य होंगे।

बशर्ते यह भी कि जहाँ किसी मामले में खान, कोयला क्षेत्र अथवा कोई अन्य ऊर्जा परिसंपत्ति शामिल है, वहाँ संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग के सचिव को समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

2. **सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के अधिकार एवं कार्य :**

सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं और वह निम्नलिखित कार्य करेगीः

क. ओएएलपी/डीएसएफ/सीबीएम बोली दौर की समीक्षा करें और उन्हें प्रचालित करने की सिफारिश करना।

ख. अनुलग्नक-क में नीति के अनुसार सभी श्रेणी बेसिनों में सभी ब्लॉकों/क्षेत्रों के लिए वित्तीय और संविदात्मक शर्तों और बोली के मापदंडों को अंतिम रूप देना; आगामी हाइड्रोकार्बन बोली दौर के लिए मॉडल संविदाओं और बोली दस्तावेजों की सिफारिश करना।

ग. सफल बोली दौर के बाद संविदाओं को प्रदान करने के लिए सिफारिश करना।

घ. समय सीमा के विस्तार, संविदाओं के प्रचालन और अंतर-मंत्रालयी समन्वय सहित संविदात्मक मुद्दों का समाधान करना।

ङ. संविदाओं और नीतियों के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण जारी करना।

च. पट्टे और संविदाओं की स्थिरता से संबंधित संविदात्मक प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करना, कानून में परिवर्तन या संविदाकार के अधिकारों, हितों या संपत्तियों को छीनने के लिए मुआवजे के तहत देय नुकसान/दावों की मात्रा की जांच और सिफारिश करना जैसा कि पीएनजी नियमों 2025 में परिभाषित किया गया है।

छ. समिति द्वारा संदर्भित मामलों में बाह्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की समिति (सीईईई) द्वारा की गई सिफारिशों और निपटान समझौतों पर निर्णय लेना।

ज. ऊर्ध्वप्रवाह पेट्रोलियम प्रचालन पर लागू नीतियों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे कार्यों की सिफारिश करना।

झ. अनुलग्नक-ख में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना और सिफारिशें करना और संशोधित ओआरडी अधिनियम 1948 और पीएनजी नियम 2025 के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक नीतियों में कोई भी परिणामी परिवर्तन। मौजूदा नीतियों और ओआरडी अधिनियम/पीएनजी नियमों के विरोधाभास की स्थिति में, अधिनियम/नियम प्रबल होंगे और ऐसे मामलों में, ईसीएस मौजूदा नीतियों में आवश्यक परिवर्तन की सिफारिश करेगा।

3. मंत्री, पीएनजी और वित्त मंत्री द्वारा ईसीएस सिफारिशों की स्वीकृति की प्रचलित प्रथा जारी रहेगी।

4. उक्त अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[**फा.सं.** एक्सपीएल-11019(18)/17/2025-एक्सपीएल-आई-पीएनजी (ई-53311)]

विनोद शेषन, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क

1. प्राकृतिक गैस के लिए बेसिनों के वर्गीकरण से संबंधित नीति-वित्तीय और संविदात्मक शर्तें, विपणन और मूल्य निर्धारण सुधार दिनांक 28.2.2019

अनुलग्नक-ख

1. अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की अन्वेषण और दोहन नीति दिनांक 20.08.2018
2. लघु, मध्यम आकार के और खोजे गए क्षेत्रों के लिए उत्पादन सहभागिता संविदाओं के विस्तार की नीति दिनांक 28.03.2016
3. पूर्व-एनईएलपी अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन सहभागिता संविदाओं के विस्तार के लिए नीति दिनांक 07.04.2017

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

S.O. 4431(E).— In pursuance of the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and in supersession of all previous notifications/orders issued from time to time constituting the Empowered Committee of Secretaries (ECS) under various contractual regimes relating to upstream petroleum operations, the Central Government hereby constitutes an Empowered Committee of Secretaries (ECS) for the purposes of Nomination fields and all contractual regimes namely, Pre-NELP, NELP, CBM, DSF and HELP (OALP), with the following composition, powers and functions:

1. **Composition of Empowered Committee of Secretaries**:

The Empowered Committee of Secretaries (ECS) shall consist of the following members, namely:—

(a) **Secretary**, Ministry of Petroleum and Natural Gas;

(b) **Secretary**, Department of Expenditure; and

(c) **Secretary**, Ministry of Law and Justice (Law Secretary).

Provided that **Secretary** (Coal) shall be a member of the Committee in all matters relating to Coal Bed Methane (CBM).

Provided further that where any matter involves mines, coal fields or any other energy asset, the **Secretary** of the concerned Ministry or Department may be invited to participate in the proceedings of the Committee.

2. **Powers and Functions of the Empowered Committee of Secretaries**:

The Empowered Committee of Secretaries is vested with the following powers and shall perform the following functions:

a. Review and recommend operationalisation of OALP/ DSF/ CBM bid rounds.

b. Finalizing fiscal and contractual terms and bidding parameters for all blocks/ fields in all category basins Policy as in **Annexure-A**; recommend Model Contracts and bid documents of upcoming hydrocarbon bid rounds.

c. Recommend for award of contracts after successful bidding rounds.

d. Resolve contractual issues, including extension of timelines, operationalization of contracts and inter-ministerial coordination.

e. Issue clarifications relating to provisions of contracts and policies.

f. Recommend actions to be taken by the Government for implementation and operationalization of contractual provisions, including those relating to stability of leases and contracts, examine and recommend quantum of damages/ claims payable under change in law or compensation for taking away the rights, interests or assets of the contractor as defined as in the PNG Rules 2025

g. Decide on recommendations and settlement agreements made by the Committee of External Eminent Experts (CEEE) in matters referred to it.

h. Recommend such actions to be taken by the Government for removal of difficulties, in the implementation of policies applicable to upstream petroleum operations.

i. To review and make recommendations in existing policies as in **Annexure-B** and any consequential change in the policies required to align with the amended ORD Act 1948 and PNG Rules 2025. In case of contradiction of existing policies and ORD Act/ PNG Rules, Act/ Rules shall prevail and, in such cases, the ECS shall recommend for required change in the existing policies.

3. The prevailing practice of approval of ECS recommendations by Minister, PNG and Finance Minister will continue.

4. The said notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. EXPL-11019(18)/17/2025-expl-I-PNG (E-53311)]

VINOD SESHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

1. Policy related to Categorization of Basins-Fiscal and contractual terms, Marketing and pricing reforms for Natural Gas dated 28.2.2019

ANNEXURE-B

1. Exploration and Exploitation of Unconventional Hydrocarbons Policy dated 20.08.2018.
2. Policy for the Grant of Extension to the Production Sharing Contracts for small, medium sized and discovered fields dated 28.03.2016 .
3. Policy for the Grant of Extension to the Production Sharing Contracts for Pre-NELP Exploration Blocks dated 07.04.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.11 11:49:55 +05'30'